

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/विविध 01-144/2024

पटना, दिनांक :- / /2026

डा० आकांक्षा सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, कार्डियोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-220A तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-640 दिनांक-19.01.2015 के आलोक में दिनांक-11.11.2026 से 10.03.2027 तक कुल-120 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2459(25) दिनांक-25.11.2025 द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में डा० सिन्हा के पक्ष में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत कुल-730-120 = 610 (छह सौ दस) दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी आदेय रहेगी।

3. डा० आकांक्षा सिन्हा, सहायक प्राध्यापक को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं०-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरांत वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), पटना को उपलब्ध करायी जाय।

4. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक-17/विविध 01-144/2024 - 1111(17) पटना, दिनांक :- 02/09/2026

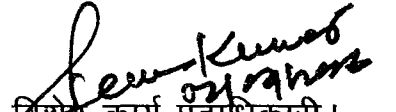
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० आकांक्षा सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, कार्डियोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
MK